न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–200/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00128)

1. ग्यारसा पुत्र नानगा, जाति मीना, निवासी ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, जोन–4, पता इन्द्रा सर्किल के पास, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 20.05.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन–4, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आदेश दिनांक 28.12.2002 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90 बी के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 945/2 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 946 रकबा 0.01 हैक्टयर गै0मु0 आबादी खसरा नम्बर 947 रकबा 0.03 हैक्टयर चाही प्रथम, खसरा नम्बर 948 रकबा 0.05 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.19 हैक्टयर वाके ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर पटवारी क्षेत्र दुर्गापुरा भू–अभिलेख क्षेत्र सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, उक्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 में अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित थी, दिनांक 20.12.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिकारी व कर्मचारी अपीलान्ट की भूमि पर रोड़ बनाने के लिये आये तो अपीलान्ट ने उनसे कहा कि आप मेरी भूमि को बिना अवाप्त किये व बिना मुआवजा दिये रोड़ नही बना सकते तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बताया कि उक्त आराजीयात के खसरा नम्बर 945/2 रकबा 010 हैक्टयर व खसरा नम्बर 947 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि का नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 16.06.2003 के अनुसार हमारे नाम से है जो जयपुर एरोड्रम विस्तार में आवाप्त हो चुकी है आपके नाम से तो खसरा नम्बर 946 रकबा 0.01 हैक्टयर व खसरा नम्बर 948 रकबा 0.05 हैक्टयर है जिसका मुआवजा आपको दे दिया जावेगा जिससे अपीलान्ट बड़ा दुःखी हुआ तथा अपीलान्ट के पुत्र हनुमान सहाय मीना ने अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नम्बर 945/2 व 947 के सम्बन्ध में कार्यवाही की प्रमाणित प्रति कार्यालय में उपस्थित होकर चाही परन्तु कई बार आवेदन करने पर भी नकल उपलब्ध नही करायी गई तब दिनांक 27.12.2016 को सूचना के अधिकार के तहत उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की नकल व जानकारी तथा दस्तावेजात चाहे गये जो उपायुक्त जोन–4 जयपुर विकास प्राधिकरण से कोई दस्तावेजात व आवश्यक सूचना उपलब्ध नही करवाये, इस पर अपीलान्ट के पुत्र हनुमान सहाय ने सूचना का अधिकार के तहत प्रथम अपील अधिकारी व सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण के यहॉ अपील प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.02.2017 की सूचना दिनांक 20.04.2017 को भिजवायी कि वांछित पत्रावली जोन कार्यालय मे तलाश की गई, जो उपलब्ध नही हो रही है, पत्रावली तलाश की जा रही है, उपलब्ध होते ही सूचना उपलब्ध

संभागीय आयुक्त
जयपुर

करवा दी जायेगी तथा आज दिनांक तक अपीलान्ट को कोई सूचना उपलब्ध नही करायी गई इसके पश्चात् अपीलान्ट ने दिनांक 25.07.2017 को नामान्तरकरण की नकल निकलवायी तो पता चला कि उक्त भूमि का नामान्तरकरण जरिये धारा 90बी भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से खोल दिया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 945/2 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 946 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 947 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 948 रकबा 0.05 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.19 हैक्टयर वाकें ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर को ना तो किसी व्यक्ति या संस्था को विक्रय किया गया है तथा न ही उक्त आराजीयात को अकृषि कार्यो में परिवर्तन करने हेतु कभी आवेदन किया है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना किसी प्रकार का कोई नोटिस दिये तथा न ही कोई सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की उक्त खातेदारी की आराजी भूमि की धारा 90बी की कार्यवाही से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, इस कारण से अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नही हो सकी तथा जानकारी होने पर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट एक अनुसूचित जनजाति का गरीब व अनपढ व्यक्ति है, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों को राज्य सरकार द्वारा आरक्षित की हुयी है इसके बावजूद भी बिना किसी अधिकार के व गैरकानूनी रूप से अपीलान्ट की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से अंकित कर दी गई विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2002 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2002 निरस्त फरमाया जावे तथा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा अपीलान्ट को दिलवाये जाने तथा शेष रही भूमि अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि अपीलान्ट की अपील वर्तमान में अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पोषणीय ही नही है तथा वादग्रस्त आराजी के 90बी के अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी पत्रावली को तलाश करवाया जा रहा है तथा उक्त पत्रावली उपलब्ध होने पर ही सम्पूर्ण वाकियात का मालूम चल पायेगा, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को

कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 190 एवं जमाबन्दी की छाया प्रतियों के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 945/2 रकबा 0.10 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 947 रकबा 0.03 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टयर अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है तथा प्रकरण संख्या 115/2002 उनवान जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम ग्यारसा के निर्णय दिनांक 28.12.2002 की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 13.06.2003 को स्वीकार किया गया है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 वादग्रस्त आराजी खातेदार के नाम से खारिज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट का मुख्य कथन रहा है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी को किसी भी व्यक्ति या संस्था को विक्रय नही किया गया है, ना ही उनको आराजी का कोई मुआवजा मिला है साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील संख्या 135147–152930 के निर्णय दिनांक 05.06.2018 की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट के पुत्र द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2002 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 28.03.2018 को आवेदन किया गया है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रावली उपलब्ध नही होने एवं पत्रावली को तलाश कराने की कार्यवाही जैरकार बताये सूचना उपलब्ध नही कराई गई तब अपीलान्ट के पुत्र द्वारा प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 05.06.18 से गहन तलाश के उपरान्त भी यदि पत्रावली नही मिलने की स्थिति में जिसकी तहवील से पत्रावली गुम हुई है, के विरूद्ध बाद जॉच सम्बन्धित थानाधिकारी के यहॉ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदेश दिये गये है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण की अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–4 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2002 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–4 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण की विस्तृत जॉच की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर।